581

संख्या-480/XXVIII–5–2014–111/2008

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 24 मार्च, 2014

विषयः महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी का उच्चीकरण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन की संस्तुत धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/उच्चीकरण/30/2008/9511 दिनांक 05.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी का उच्चीकरण कार्य हेतु गठित पुनरीक्षित आगणन आगणन ₹686.13 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त एवं व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत कुल लागत ₹670.13 लाख (सिविल कार्यों की लागत ₹534.34 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के प्रावधानों के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों की लागत ₹135.79 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि में से प्रारम्भिक आगणन के कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि ₹354.95 को घटाकर अवशेष धनराशि **₹315.18 लाख (रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठारह हजार मात्र)** के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में **₹50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम रामनगर, जनपद नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
3. सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों अनुमानित लागत **₹135.79 लाख** के कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुपालन करते हुए किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें। अस्पताल में लगने वाले उपकरणों को राज्य सरकार एवं एन.आर.एच.एम. से वित्त पोषित किया जायेगा।
8. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।
9. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथावश्यकता नियमानुसार करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा। कार्य करने से पूर्व विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दि0 15.12.08 के अनुसार एमम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर लिया जाए जिसमें Defect Liability Clause का प्राविधान सुनिश्चित कर लिया जाए। विलम्ब की दशा में अथवा अन्य किसी भी कारण से आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
10. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं आयोजनागत –110–अस्पताल तथा औषधालय–05–तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा निर्माण (चालू अंश)–00–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–372(P)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 22 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

बैंक - ग्रान्ट्स मैं आई डी - S14031203 89.

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-480 (1)/XXVIII-5-2014-111/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल/मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
7. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम रामनगर, जनपद नैनीताल।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।